न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : अशोक शिवहरे
सदस्य

निगरानी प्र0 क0 393–दो/2013 विरूध्द आदेश दिनांक 08–01–13 पारित अनुविभागीय अधिकारी, बिजावर जिला छतरपुर प्रकरण कमांक 18/2011–12 अपील.

बैजनाथ पुत्र कमोदे कुर्मी
निवासी भड़नपुरा, तह. बिजावर,
जिला छतरपुर, म0प्र0

——— आवेदक

विरूध्द

1– लछुआ पुत्र बल्दुआ कुर्मी
निवासी भड़नपुरा, तह. बिजावर,
जिला छतरपुर, म0प्र0
2– मध्यप्रदेश शासन

—— अनावेदकगण

श्री राजीव जैन, अभिभाषक – आवेदक
श्री राकेश कुमार गोस्वामी, अभिभाषक– अनावेदक क0–1
श्री डी0के0शुक्ला, पैनल अभिभाषक– अनावेदक क0–2 शासन

आदेश

(आज दिनांक 1-5- 2014 को पारित)

यह निगरानी का आवेदनपत्र मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत अनुविभागीय

अधिकारी, बिजावर, जिला छतरपुर के प्रकरण कमांक 18/2011–12 में पारित आदेश दिनांक 08–01–2013 से असन्तुष्ट होकर प्रस्तुत किया गया है।

2/ प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि नामान्तरण पंजी क0 25 पर पारित आदेश दिनांक 26–12–2000 के विरूध्द अनावेदक लछुआ व्दारा दिनांक 02–11–2011 को अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की। अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष विलम्ब को माफ करने हेतु समयावधि विधान की धारा 5 का आवेदनपत्र शपथपत्र के साथ प्रस्तुत किया गया। अनुविभागीय अधिकारी ने उभय पक्ष को सुनने के पश्चात अपने आदेश दिनांक 08–01–13 विलम्ब सदभाविक एवं विलम्ब का कारण युक्ति–युक्ति मान्य किया और प्रकरण अन्तिम तर्क हेतु नियत किया। इस आदेश के विरूध्द आवेदक व्दारा यह निगरानी राजस्व मण्डल में प्रस्तुत की गयी है।

3/ मैंने उभय पक्ष के विव्दान अभिभाषकों व्दारा प्रस्तुत तर्कों पर गम्भीरतापूर्वक विचार किया तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेखों का अवलोकन किया। आवेदक के अभिभाषक का तर्क है कि अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील 11 वर्ष से अधिक विलम्ब से प्रस्तुत की गयी है जिसका कोई स्पष्ट कारण नहीं बताया गया है। विलम्ब को न्यायहित में तभी माफ किया जा सकता है, जब प्रत्येक दिन का समुचित स्पष्टीकरण दिया जाय। विलम्ब सदभाविक होने के संबंध में भी अधीनस्थ न्यायालय में कोई प्रमाण नहीं है। अतः उन्होंने निगरानी स्वीकार कर अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त करने का अनुरोध किया।

4/ अनावेदक के अभिभाषक ने लिखित तर्कों में मुख्य मुद्दा यह प्रस्तुत किया है कि प्रश्नाधीन भूमि खसरा नं0 2652/2 रकबा 0.287 हे. में से 70 डिस. भूमि रू. 90/– में संवत 2035 अर्थात वर्ष 1978 में कच्ची टीप के आधार पर खरीदने के आधार पर नामान्तरण पंजी में लगभग 22 वर्ष पश्चात वर्ष 2000 में नामान्तरण पंजी में नामान्तरण कराया गया है। इस नामान्तरण

के पूर्व विहित प्रकिया का पालन नहीं किया गया। जब 08--10--2011 को आवेदक बैजनाथ व्दारा अनावेदक को खेती करने से रोका एवं झगड़ा--फसाद करने पर आमादा हुआ, जब वकील के सम्पर्क कर पंजी की नकल निकलवाकर अपील प्रस्तुत की गयी है। जानकारी के दिनांक से अपील समयावधि में प्रस्तुत की गयी है। अतः उन्होंने निगरानी खारिज करने का अनुरोध किया है।

5/ नामान्तरण पंजी क0 25 पर पारित नामान्तरण आदेश 26--12--2000 के अवलोकन से स्पष्ट है कि पटवारी रिपोर्ट के आधार पर संवत 2035 के बैनामा कच्चा रू. 90/- के आधार पर अति0 तहसीलदार ने केता आवेदक के नामान्तरण स्वीकार किया है। संहिता की धारा 109 में यह प्रावधान है कि--

"कोई व्यक्ति, जो भूमि में कोई अधिकार का हित विधिपूर्वक अर्जित करता है, अपने व्दारा ऐसा अधिकार अर्जित किये जाने की रिपोर्ट ऐसे अर्जन की तारीख से छह मास के भीतर पटवारी को मौखिक रूप से या लिखित में करेगा, और पटवारी ऐसी रिपोर्ट के लिए लिखित अभिस्वीकृति रिपोर्ट करने वाले व्यक्ति को विहित प्ररूप में तत्काल देगा।"

उक्त प्रावधान से स्पष्ट है कि विधिपूर्वक अधिकार अर्जित करने के 6 माह के भीतर अधिकार अर्जित करने वाले व्यक्ति को रिपोर्ट पटवारी के समक्ष प्रस्तुत की जाना चाहिये। इस प्रकरण में संवत 2035 के कच्चे बयनामें रू. 90/- के आधार पर लगभग 22 वर्ष पश्चात नामान्तरण पंजी में नामान्तरण पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर तहसील न्यायालय व्दारा प्रमाणिकृत किया गया है। संहिता की धारा 109/110 के अन्तर्गत राजस्व पदाधिकारी व्दारा नामान्तरण स्वत्व के संबंध में संक्षिप्त जॉच के पश्चात किये जाते हैं, इसलिये कच्ची टीप, जो इतने अधिक विलम्ब से प्रस्तुत की गयी, के आधार पर नामान्तरण करने के पूर्व अभिलिखित भूमिस्वामी पर व्यक्तिशः सूचनापत्र की तामीली नामान्तरण नियमों के नियम 27 के अनुसार की जाकर सूचनापत्र देना अनिवार्य थी और

तत्पश्चात साक्ष्य प्रति–साक्ष्य लेने के पश्चात ही यह निर्धारित किया जा सकता था कि कच्ची टीप के आधार पर विधिवत स्वत्व अन्तरित हुए या नहीं, किन्तु ऐसी कोई प्रकिया अपनाये बिना नामान्तरण पंजी में किया गया नामान्तरण प्रथम दृष्टया विधि अनुकूल होना मान्य नहीं किया जा सकता। ऐसी दशा में अनुविभागीय अधिकारी व्दारा विलम्ब को सदभाविक होना मान्य कर माफ करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की गयी है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी खारिज की जाती है। अनुविभागीय अधिकारी का आदेश दिनांक 08–01–13 यथावत रखा जाता है।

(अशोक शिवहरे)
सदस्य,
राजस्व मण्डल,म0प्र0